



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र 3086/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2026

दिनांक - 03.09.2026

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
अमलतास विश्वविद्यालय
देवास (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2026-27** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **01.09.2026** एवं **02.09.2026** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 205वीं सभा बैठक दिनांक **03.09.2026** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Medical Science	DM - Cardiology	800000	680000	120000	800000
2		DM - Nephrology	800000	680000	120000	800000
3		M.Ch. - Urology	1805000	1534250	270750	1805000
4		M.Ch. - Neurosurgery	800000	680000	120000	800000
5		Radiodiagnosis	2730000	1966900	347100	2314000
6		Dermatology, Venereology and Leprosy	2730000	1966900	347100	2314000
7		General Medicine	2437500	1755250	309750	2065000
8		Obstetrics & Gynaecology	2437500	1755250	309750	2065000
9		Orthopaedics	2297500	1655800	292200	1948000

[Signature]

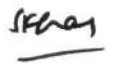
[Signature]

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

10	Faculty of Medical Science	Anaesthesiology	2297500	1655800	292200	1948000
11		Paediatrics	2297500	1655800	292200	1948000
12		Psychiatry	2297500	1655800	292200	1948000
13		Respiratory Medicine (T.B. & Chest)	2297500	1655800	292200	1948000
14		Otorhinolaryngology (E.N.T.)	2297500	1655800	292200	1948000
15		General Surgery	2297500	1655800	292200	1948000
16		Ophthalmology	2297500	1655800	292200	1948000
17		Emergency Medicine	2297500	1655800	292200	1948000
18		Pathology	800000	680000	120000	800000
19		Anatomy	10000	8500	1500	10000
20		Biochemistry	10000	8500	1500	10000
21		Community Medicine (PSM)	100000	85000	15000	100000
22		Forensic Medicine	10000	8500	1500	10000
23		Microbiology	100000	85000	15000	100000
24		Pharmacology	100000	85000	15000	100000
25		Physiology	10000	8500	1500	10000
26		MBBS	2122500	1528300	269700	1798000
27		M. Sc. Medical Biochemistry	106800	90780	16020	106800
28		M. Sc. Medical Anatomy	94000	79900	14100	94000
29		M. Sc. Medical Physiology	94000	79900	14100	94000
30		M. Sc. Medical Pharmacology	94000	79900	14100	94000
31	Faculty of Ayurveda	BAMS	375000	289000	51000	340000
32	Faculty of Homoeopathy	BHMS	220000	140250	24750	165000
33	Faculty of Pharmacy	B. Pharma	69500	59075	10425	69500
34		D. Pharma	75000	63750	11250	75000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।



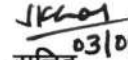


// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026-27 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, द्वारा अनुमोदित)


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3087 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2026

भोपाल, दिनांक 03.09.2026

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलगुरु, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

